सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00044

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 15/2017

1. लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख आयु करीब 50 वर्ष निवासी 38 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 35 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 35 बीबी तहसील पदमपुर।
2. सचिव ग्राम पंचायत 35 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. सिमरजीत कौर पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत 35 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. ताराचन्द पूर्व सचिव ग्राम पंचायत 35 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. राजवीर सिंह पुत्र सुच्चासिंह जाति जटसिख निवासी 38 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. जगजीत कौर पत्नी परमजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 38 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. वीरपाल कौर पुत्री परमजीत सिह जाति जटसिख निवासी 38 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. निशान सिंह पुत्र परमजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 38 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :

1. श्री सुखदेव सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता

:: आदेश :: **दिनांक :– 19.02.2020**

प्रस्तुत निगरानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि पट्टा ग्राम पंचायत 35 बीबी दिनांक 08.04.1991 जो कि अहाता संख्या 15,16,19 की पश्चिमी तरफ स्थित गली की जगह का 30X300 फुट व अहाता संख्या 15 व दुकान नम्बर सी की उतरी तरफ स्थित गली की जगह का 30X160 फीट का जारी किया गया है गलत खिलाफ कानून होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। पट्टा अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट होता है कि पट्टा गली की जगह का जारी किया हुआ है। पट्टा के पीछे नक्शा बनाया हुआ है जिसका अवलोकन किया जावें तो यह स्पष्ट है कि प्लाट नम्बर 15 के पूर्व में दुकान नम्बर सी स्थित है। अतः यह भूखण्ड उत्तर पश्चिमी कोने का है तथा इसके लिए रास्ता में किसी प्रकार से नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व में साथ लगती दुकान नम्बर सी है। अतः इसको रास्ता उत्तर व पश्चिम में ही लगेगा जबकि इस प्लाट के उत्तर व पश्चिम की जगह गली की जगह को आबादी बनाकर कथित निलामी द्वारा विक्रय किया गया तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस भूखण्ड के लिए कोई रास्ता ही बाहर आने जाने का नहीं रहेगा। इसी प्रकार से भूखण्ड संख्या 16–19 के पूर्व में भूखण्ड संख्या 14 व 20 लगते है। अगर इनके पश्चिम की जगह को आबादी मानकर कथित निलामी द्वारा विक्रय किया गया तो भी यह स्पष्ट है कि भूखण्ड संख्या 16 व 19 के लिए भी कोई रास्ता नहीं रहेगा क्योंकि पूर्व में प्लाट संख्या 19–20 स्थित है तथा पश्चिम की जगह जो गली की है को विक्रय किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

कलक्टर (प्रशासन)

जाता है तो भूखण्ड संख्या 16 व 19 से बाहर आने व इन में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन सरपंच व सचिव द्वारा मिली भगत करके ही कथित पट्टा बैकडेट में बनाया गया अथवा गलत तौर से जारी किया गया है वास्तव में ना तो बोली हुई ना ही कानूनन गली की जगह को बोली के द्वारा अहाता के रूप में विक्रय किया जा सकता था तथा ना ही किसी प्रकार से वास्तव में किया गया व पट्टा गलत बनाया होने से निरस्तनीय है। मौजूदा सरपंच व सचिव को भी यह जानकारी है कि अहाता नम्बर 16–19 आदि के साथ गली की जगह में इन्टरलॉक टाईलस लगवाने से भी यह स्पष्ट है कि गली की जगह है। गली करीब 40 फीट चौड़ी है तथा इसमें से 30 फीट चौड़ाई की जगह को गलत पट्टा जारी किया गया है जो कि निरस्तनीय है। इसी प्रकार से भूखण्ड संख्या 15 के उत्तर व पश्चिम में भी गली की जगह का व दुकान नम्बर सी के उत्तर में भी गली की जगह का गलत पट्टा जारी करवाया गया है। अतः पट्टा दिनांक 08.04.1991 जो कि स्व0 परमजीत सिंह जिसके वारिसान अप्रार्थीयान 6 ता 8 है तथा अप्रार्थी संख्या 5 राजवीर सिंह के नाम से जारी उक्त पट्टा हर प्रकार से गलत होने से निरस्तनीय है। कानूनन बोली से अगर कोई आबादी की जगह का विक्रय भी किया जाता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी आवश्यक होती है तथा कानूनी प्रक्रिया में पहले पंचायत में आवेदन पत्र पेश हो, पंचायत की मीटिंग हो प्रस्ताव पास किया जावे, कमेटी गठित की जावे व कमेटी से रिपोर्ट ली जाकर सार्वजनिक सूचना जारी की जावें। विधिवत् तामील करवाई जावें तथा निलामी ढोल मुनियादी आदि 3 दिन तक करवाई जाती रहे तथा सबसे उच्चतम बोली वाले को ही आबादी की जगह विक्रय की जावे मगर इस प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। अतः पट्टा जाहिरा तौर से ही गलत होने से निरस्तनीय है। उक्त जगह तो गली की जगह होने से कानूनन आबादी भूमि के रूप में विक्रय ही नहीं हो सकती थी। अपार्थीगण 5 ता 8 अब गली की जगह में गेट लगाकर अवैध कब्जा करने की कौशिश में है। अतः पट्टा को निरस्त करवाना जरूरी है क्योंकि पट्टा जाहिरा तौर से ही गलत जारी किया गया है। गली की जगह बहुत ही कीमती है तथा बहुत ही कम राशि में बेची गई है। अतः पंचायत को जानबूझकर नुकसान भी पहुंचाया गया है इसी कारण ही अप्रार्थी 3–4 को पक्षकार बनाया गया है जिससे की उनके खिलाफ पंचायत कोष को हानि पहुंचाने व पद के दुरूपयोग की सजा दी जा सके। लिहाजा निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा दिनांक 08.04.991 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जाकर तत्कालीन सरपंच सचिव के विरूद्व कानूनी कार्यावाही का भी आदेश फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि पट्टा ग्राम पंचायत 35 बीबी दिनांक 08.04.1991 जो कि अहाता संख्या 15,16,19 की पश्चिमी तरफ स्थित गली की जगह का 30X300 फुट व अहाता संख्या 15 व दुकान नम्बर सी की उतरी तरफ स्थित गली की जगह का 30X160 फीट का जारी किया गया है पट्टा अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट होता है कि गली की जगह का जारी किया हुआ है क्योंकि किसी भी भूखण्ड की इस प्रकार की पैमाइश 30X300 फीट व 30X160 फीट नहीं होती है, बल्कि 30 फीट गली की जगह का ही जारी होना स्पष्ट है। पट्टा के पीछे नक्शा बनाया हुआ है जिसका अवलोकन किया जावें तो यह स्पष्ट है कि प्लाट नम्बर 15 के पूर्व में दुकान नम्बर सी स्थित है। अतः यह भूखण्ड उत्तर पश्चिमी कोने का है तथा इस के लिए रास्ता में किसी प्रकार से नहीं हो सकता क्योंकि पूर्व में साथ लगती दुकान नम्बर सी लगती है। अतः इस को रास्ता उत्तर व पश्चिम में ही लगेगा जबकि इस प्लाट के उत्तर व पश्चिम की जगह गली की जगह को आबादी की जगह दर्शाकर गलत पट्टा कथित निलामी का दर्शाकर बनाया गया है जबकि वास्तव में निलामी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसके अलावा आबादी की किसी जगह को निलाम करने के लिए सर्वप्रथम पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव पास किया जाना, निलामी की कानूनी प्रक्रिया अपनायी जानी अर्थात पंचायत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

मुख्यालय पर नोटिस चस्पा किया जाना व पंचायत क्षेत्र में ढोल आदि द्वारा मुनियादी करवायी जानी व बोली कम से कम तीन रोज करवायी जानी व उच्चतम बोली वाले केता के हक में बोली छोड़ी जाने के उपरांत ही राशि जमा करवाकर पट्टा जारी किया जा सकता है मगर पंचायत रिकॉर्ड में इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पंचायत द्वारा गली आम होने के कारण ही इन्टरलोकिंग टाईल लगवायी गई मगर इसके बावजूद भी पट्टा जारी होना यह दर्शाता है कि वास्तव में बेकडेट में कूटरचित बनाया गया है जिसके लिए तत्कालीन सरपंच, सचिव आदि के खिलाफ कार्यवाही की जानी भी आवश्यक है। किसी भी गली व गुवाड की जगह को पंचायत को कानूनन विक्रय करने का कोई अधिकार ना होने से भी पटटा दिनांक 08.04.1991 हर प्रकार से निरस्तनीय है। गली की जगह पर निर्माण होने से भूखण्ड संख्या 15 को कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। इसी प्रकार भूखण्ड संख्या 16,19 के पूर्व में भूखण्ड संख्या 14 व 20 लगते है। अतः इनके बीच की जगह को कथित निलामी द्वारा विक्रय किया गया है। भूखण्ड संख्या 16,19 के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा क्योंकि इनमें पूर्व में प्लाट संख्या 19 व 20 स्थित है तथा पश्चिम की जगह जो गली की है को विक्रय किया जाता है तो भूखण्ड संख्या 16 व 19 से बाहर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिलीभगत कर पद का दुरूपयोग कर समस्त कार्यवाही की गई है व पंचायत कोष को भी हानि पहुंचायी गई है क्योंकि प्रथम तो गली को जगह का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता, इसके अलावा 30X300 फीट व 30X160 फीट जगह की कीमत केवलमात्र 700/–रूपया होने का प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता। अतः पंचायत कोष को भी हानि पहुॅचायी है। तत्कालीन सरपंच व सचिव को यह भलीभांति जानकारी थी कि अहाता नम्बर 16 व 19 आदि के साथ गली की जगह में इन्टरलोकिंग टाईल लगवायी है। गली करीब 40 फीट चौडी है तथा इसमें से 30 फीट चौड़ाई की गजह का गलत पट्टा जारी किया गया है। इसी प्रकार से भूखण्ड संख्या 15 के उत्तर पश्चिम में भी गली की जगह व दुकान सी के उत्तर में गली की जगह का गलत पट्टा जारी होना स्पष्ट है। यदि वास्तव में पट्टा सही जारी किया गया तो अप्रार्थी संख्या 5 ता 8 पेश होकर निगरानी का विरोध करते मगर उनके द्वारा पेश होकर निगरानी का विरोध नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि उनको पट्टा निरस्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। पट्टा के पीछे जो नक्शा दर्शाया गया है उसमें भूखण्ड संख्या 15,16,17,19,20 प्रत्येक का साईज 100X100 फीट दर्शाया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि गांव के समस्त प्लाटों का यही साईज है किसी भी प्रकार से 30X300 फीट किसी प्लाट का साईज होने व अथवा 30X160 फीट किसी भी प्लाट का साईज होने का प्रश्न ही नहीं होता। भूखण्ड संख्या 15,16,19 के साथ पूर्व दिशा में चिपते हुए ही दुकान सी भूखण्ड संख्या 17 व 20 दर्शाए हुए है। इस प्रकार नक्शा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूखण्ड संख्या 15,16,17,19 के पश्चिम में गली की जगह है तथा इसका आवंटन होने से रास्ता बंद होना स्वभाविक है क्योंकि भूखण्ड संख्या 16 बीच का भूखण्ड है जिसके पूर्व में भूखण्ड संख्या 17 चिपता हुआ है। अतः भूखण्ड संख्या 16 के लिए अन्य रास्ता होने का नक्शा से भी स्पष्ट नहीं होता । इस प्रकार गली की जगह का ही पट्टा जारी होना स्पष्ट हो जाता है। लिहाजा लिखित बहस पेश करके अर्ज है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत 35 बीबी के पट्टा दिनांक 08.04.1991 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1, 2 व 5 ता 8 विधिवत् तामिल के बावजूद उपस्थित नहीं। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 सीमरजीत कौर एवं गैरनिगरानीकर्ता संख्या 4 ताराचन्द ने अपना जबाब दिनांक 16.05.2017 को पेश कर निवेदन किया। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 ने अपने जबाब में अंकित किया कि ग्राम पंचायत 35 बीबी के चक 38 बीबी के लखविन्द्र सिंह द्वारा लगाये गये आरोप निराधार है क्योंकि दिनांक 0804.1991 को पट्टे जारी किये गये है। इस दौरान मै सरपंच पद पर कार्यरत नहीं थी जिन स्थानों का विवरण अंकित किया गया है

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उन स्थानों के सम्बन्ध में ना ही मेरे कार्यकाल में विवाद पेश हुआ है। अतः मेरे पर लगाये गये आरोप निरस्त करने की कृपा करें।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 04 ताराचन्द पुत्र रामनिवास ने अपने जबाब में अंकित किया कि ग्राम पंचायत 35 बीबी के चक 38 बीबी के लखविन्द्र सिंह द्वारा लगाये गये आरोप निराधार है क्योंकि दिनांक 0804.1991 को पट्टे जारी किये गये है। इस दौरान मै पंचायती राज की सेवा में कार्यरत नहीं था जिन स्थानों का विवरण अंकित किया गया है उन स्थानों के सम्बन्ध में ना ही मेरे कार्यकाल में विवाद पेश हुआ है। अतः मेरे पर लगाये गये आरोप निरस्त करने की कृपा करें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम पंचायत 35 बीबी दिनांक 08.04.1991 जो कि अहाता संख्या 15,16,19 की पश्चिमी तरफ स्थित गली की जगह का 30X300 फुट व अहाता संख्या 15 व दुकान नम्बर सी की उतरी तरफ स्थित गली की जगह का 30X160 फीट का जारी किया गया वो गली आम की जगह का जारी किया गया है वह विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत 38 बी.बी. तहसील पदमपुर के अहाता संख्या 15,16,19 दिनांक 08.04.2019 द्वारा जारी पट्टा निरस्त किया जाता है आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 19.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर